संख्याः पी0पी0एच0–एच0सी0(10)1/2013(एफ0एफ0सी0)–25212-23
हिमाचल प्रदेश सरकार
पंचायती राज विभाग।

प्रेषकः

निदेशक,
पंचायती राज विभाग,
हिमाचल प्रदेश, शिमला–9.

प्रेषितः

समस्त जिला पंचायत अधिकारी,
हिमाचल प्रदेश।

दिनांकः शिमला–171009 03 अक्टूबर,2015.

विषयः 14वॉ वित्तायोग अनुदान का वितरण एवं उपयोग।

महोदय,

विभाग द्वारा 14वॉ वित्तायोग अनुदान की प्रथम किश्त जारी की जा चुकी है तथा इसके वितरण एवं उपयोग के सम्बन्ध में मुझे आपको यह सूचित करने के आदेश हुए है कि अनुदान राशि के आगामी वितरण वित्तायोग की सिफारिश अनुसार 90 प्रतिशत अनुदान वर्ष 2011 की जनसख्या के आधार पर तथा 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के आधार पर ग्राम पंचायतों को किया जाना होगा। अतः उपरोक्त आधार पर राशि का वितरण अपने–अपने जिला की सम्बन्धित ग्राम पंचायतों को करना सुनिश्चित करें।

इस अनुदान के उपयोग के सम्बन्ध में सूचित किया जाता है कि आयोग की रिपोर्ट के पैरा 9.56 ( प्रति आगामी पृष्ठ पर) अनुसार ग्राम पंचायतें इस राशि को बुनियादी/अधारभूत सेवाओं को सुचारू रूप से प्रदान करने हेतु उपयोग करेगी। सरकार द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि उक्त राशि को व्यय करने के लिए ग्राम सभा द्वारा एक वार्षिक योजना तैयार की जाएगी जिसका अनुमोदन जिला स्तर पर होगा। ग्राम पंचायत विकास योजना को तैयार करने के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। इस संदर्भ में यहॉ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पंचायती राज मन्त्रालय द्वारा भी वित्त मन्त्रालय की सलाह उपरान्त अनुदान के उपयोग हेतु दिशानिर्देश जारी करने प्रस्तावित हैं जिसे सभी सम्बन्धित को उपलब्ध करवा दिया जाएगा। केवल अनुमोदित दिशानिर्देशों के अनुसार ही ग्राम पंचायतों द्वारा अनुदान का उपयोग करना सुनिश्चित किया जाये।

भवदीय,

निदेशक,
पंचायती राज विभाग, हि0प्र0,
शिमला – 171009.

(**9.55:** *Since the FC-XI, Finance Commission have stressed the improvement of basic services provided by the local bodies to their constituents. In our discussions with representatives of local bodies, there was a strong consensus amongst the participants in favour of providing more funds for drinking water, sanitations, drainage, local roads, school buildings, should waste management, street lighting, maintenance of burial and cremation grounds and parks. The States, in their memoranda to us, have also highlighted the need to support provision of these basic services relating to water, sanitation and solid waste management, Ministries of the Union Government also made similar points, with the Ministry of Drinking Water and Sanitation and Ministry of Urban Development focussing on adequate provisioning for drinking water and waste and liquid waste including septage will be a challenge for the panchayats in the future. The Ministry of Urban Development submitted that basic services in urban areas needed to national level benchmarks set by it. The need for supporting these services has been brought out in most of the SFC reports, as well as our consultations with the chairpersons of SFCs.*

*ग्यारहवे वित्त आयोग से ही वित्त आयोग ने स्थानीय निकायों द्वारा अपने क्षेत्र में दी जाने वाली मूलभूत सुविधाओं को सुधारने पर बल दिया है। स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों के साथ आयोग की बातचीत में पेयजल, स्वच्छता, जल निकासी, स्थानीय सड़कों, स्कूल भवनों, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्ट्रीट लाईट, कब्रिस्तान एवं श्मशान तथा पार्कों के रख–रखाव के लिए अधिक संसाधनों के पक्ष में प्रतिभागियों के बीच में एक मज़बूत सहमति थी। राज्यों द्वारा आयोग को दिए गए ज्ञापनों में भी जल, स्वछता तथा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए सहायता की जरूरत पर बल दिया है। संघीय सरकार के मंत्रालयों, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय तथा शहरी विकास मंत्रालय में भी इस प्रकार के बिंदुओं को मध्य नज़र रखते हुए पेयजल एवं उपशिष्ट प्रबंधन के लिए पर्याप्त प्रावधान किए जाने के मुद्दे उठाए गए थे। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा यह मुद्दा उठाया गया था कि भविष्य में पंचायतों द्वारा मल (सेप्टेज) सहित ठोस एवं तरल अपशिष्ट का प्रबंधन, एक गंभीर चुनौती होगा। शहरी विकास मंत्रालय द्वारा यह प्रस्तुत किया गया कि शहरी क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं का स्तर उनके द्वारा स्थापित राष्ट्रीय मानदण्डों के स्तर का हो। अधिकांश राज्य वित आयोगो की रिपोर्टों में , तथा साथ ही राज्य वित आयोगों के अध्यक्षों के साथ हुए आयोग के विचार विर्मश में इन सेवाओं को समर्थन दिए जाने की जरूरत का मुददा उभरकर आया है।*

**9.56:** *Improvements in the quality of basic services are likely to lead to an increase in the willingness of citizens to pay for the services. We are of the view that the measures that we recommend, including the grant to the local bodies, should go towards supporting and strengthening the delivery of basic services – water supply, sanitation including septage management, sewerage, storm water drainage and solid waste management, street lighting, local body roads and footpaths, parks, playgrounds, burial and cremation grounds. We recognise that the relevant statutes governing the local bodies would normally include these basic services.* ***Therefore, we recommend that the local bodies should be required to spend the grants only on the basic services within the functions assigned to them under relevant legislations)***

मूलभूत सुविधाओं की गुणवता को सुधारने से संभवतः नागरिको में इन सेवाओं के लिए भुगतान करने की रजामंदी बढ़ सकती है ।आयोग का यह मत है कि आयोग जिन उपायों की सिफारिशें करता है, जिनमें स्थनीय निकायों को अनुदान भी शामिल है, उनका उपयोग स्वच्छता जिसमें सेप्टेज प्रबंधन शामिल है, सीवेज, जल निकासी एंव ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, जल आपूर्ति , स्ट्रीट लाईट, स्थानीय निकायों की सडकों एंव फुटपाथों, पार्को, मैदानो तथा कब्रिस्तान एंव श्मशान स्थलों का रख–रखावो जैसी मूलभूत सेवाओं के प्रदान को , संदृढ करने हेतु उपयोग किया जाना चाहिए । आयोग की यह मान्यता है कि स्थानीय निकायों से संबंधित अधिनियमों में सामान्य तौर पर ये मूलभूत सेवार्ये शामिल होगी। अतः आयोग की यह सिफारिश है कि स्थनीय निकायों को आयोग,द्वारा दिये गये अनुदान को केवल मूलभूत सेवाओं, जो कि उन्हे संबंधित विधियों द्वारा सौंपी गई हो, पर खर्च करने के लिए निर्दिष्ट किया जाए।